भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 126

25.11.2024 को उत्तर के लिए

भारत की पक्षी संबंधी रिपोर्ट 2023 की स्थिति

126. श्री जगदम्बिका पाल:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत की पक्षी संबंधी स्थिति रिपोर्ट 2023 पिछले दशकों में पक्षियों की संख्या में 39 प्रतिशत की गिरावट दर्शाती है, विशेष रूप से उन प्रजातियों में जो कशेरुकी, कैरियन और अकशेरुकी जीवों पर निर्भर हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पश्चिमी घाटों और श्रीलंका के जैव-विविधता वाले स्थान जैसे ग्रेट ग्रे शाईक में रहने वाले पक्षियों की संख्या में 80 प्रतिशत से अधिक की कमी देखी गई है;

(ग) उक्त रिपोर्ट के प्रत्युत्तर में सरकार द्वारा की गई पहलों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त पहलों के परिणामस्वरूप पक्षियों की इन प्रजातियों की संख्या में होने वाले किसी भी सुधार का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (घ) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 'भारत के पक्षियों की स्थिति रिपोर्ट' नामक शीर्षक से कोई रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की है। मंत्रालय एशियाई हाथी, बाघ, तेंदुआ और हिम तेंदुए जैसी प्रमुख प्रजातियों की संख्या का अनुमान लगाता है। पक्षियों सहित कई अन्य वन्यजीवों के लिए भी संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा संख्या आकलन किया जाता है।

देश की पक्षी प्रजातियों सहित वन्यजीवों के संरक्षण के लिए मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 अनुसूची-I में पक्षियों की 208 प्रजातियों और अनुसूची-II में पक्षियों की 1134 प्रजातियों को सूचीबद्ध करता है, जिससे उन्हें शिकार से सुरक्षा मिलती है।

ii. वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत पूरे देश में महत्वपूर्ण वन्यजीव पर्यावासों को कवर करने वाले संरक्षित क्षेत्र, जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, संरक्षण रिजर्व और सामुदायिक रिजर्व बनाए गए है।

iii. मंत्रालय ने देश में आर्द्रभूमियों के बेहतर संरक्षण के लिए आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 को अधिसूचित किया है।

iv. बस्टर्ड, एडिबल नेस्ट स्विफ्टलेट्स, निकोबार मेगापोड, जेरडॉन कोर्सर और गिद्धों सहित 22 गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों के संबंध में केन्द्रित संरक्षण कार्यों के लिए 'वन्यजीव पर्यावासों का विकास' नामक चल रही केंद्रीय प्रायोजित योजना में 'गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों और पर्यावासों को बचाने के लिए बहाली कार्यक्रम' के एक विशिष्ट घटक को शामिल किया गया है।

v. 'वन्यजीव पर्यावासों के विकास' की केंद्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत संरक्षित क्षेत्रों की सुरक्षा और प्रबंधन के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।

*****